पंजीकृत।

कार्यालय निदेशक,पशुपालन विभाग(उत्तराखण्ड), पशुधन भवन, मोथरोवाला–देहरादून।

संख्या–2116 / नि.–5 / एक(55) / कृ.ग.प्रो.यो. / 2022–23 दिनांक 21 जुलाई, 2022.

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
नैनीताल / ऊधमसिंहनगर / अल्मोड़ा / बागेश्वर / पिथौरागढ़ / चम्पावत / देहरादून / पौड़ी / टिहरी / चमोली / रूद्रप्रयाग / उत्तरकाशी एवं हरिद्वार।

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य सैक्टर कें अन्तर्गत पैरावेट को कृत्रिम गर्भाधान प्रोत्साहन योजना (अनुदान सं.–28) में धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–467 / XV–1 / 22–1(5) / 2021, दिनांक 11 अप्रैल, 2022 तथा शासनादेश संख्या–798 / XV–1 / 22–1(5) / 2021, दिनांक 18 जुलाई, 2022, द्वारा पैरावेट को कृत्रिम गर्भाधान प्रोत्साहन योजनान्तर्गत क्रमशः आवंटित धनराशि ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख कुल ₹ 150.00 लाख की धनराशि इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है, के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार ₹ 125.00 लाख की धनराशि कार्यालय पत्रांक–1875 / पशुधन–तीन, दिनांक 11–7–2022 एवं पत्रांक–2060 / पशुधन–तीन, दिनांक 19–7–2022 द्वारा उपलब्ध कराई गई फांट के आधार पर निम्नानुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर प्रदिष्ट की जाती हैः– (धन. हजार रू. में)

विवरण	आहरण वितरण अधिकारी / मुख्य पशु चिकित्साधिकारी													कुल योग
	नैनी ताल	ऊ.सिं. नगर	अल मोड़ा	बागे श्वर	पिथौरा गढ	चम्पा वत	देहरा दून	पौड़ी	टिहरी	चमोली	रूद्र प्रयाग	उत्तर काशी	हरि द्वार	
आवंटित धनराशि	1350	4905	285	167	135	93	835	240	305	283	350	70	3482	12500

1. उक्त धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या–372 / XV–1 / 2020–2(28)19, दिनांक 28 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या–615 / XV–1 / 22–2(28)2019, दिनांक 24 मई, 2022 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किए जाने की दशा में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष स्तर से सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु उपलब्ध करायी जाय।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जाए और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
5. वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्रावधानित, आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।

6. प्रशासनिक / बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1, बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने हेतु उपलब्ध कराया जाय।
7. स्वीकृत / अवमुक्त की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता, दुरूपयोग, दोहरीकरण (Doubling) तथा संगत शासनादेशों के विपरीत भुगतान पाये जाने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–28 के अंतर्गत संलग्न एलाटमेंट आई.डी. में अंकित लेखाशीर्षक / मानक मद के अंतर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्न–एलाटमेंट आई.डी.

भवदीय,

(महेश चन्द्र पन्त)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
कृते–निदेशक।

संख्या– 2116 / नि.–5 / एक(55) / कृ.ग.प्रो.यो. / 2022–23 उक्त दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल / ऊधमसिंहनगर / अल्मोड़ा / बागेश्वर / पिथौरागढ़ / चम्पावत / देहरादून / पौड़ी / नरेन्द्रनगर–टिहरी / गोपेश्वर–चमोली / रूद्रप्रयाग / उत्तरकाशी / हरिद्वार।
2. लेखा / पशुधन / संख्या शाखा, मुख्यालय।
3. पशु चिकित्साधिकारी, ग्रेड–1, एमआईएस, मुख्यालय को विभागीय बैवसाइड में अपलोड करने हेतु।
4. संयुक्त निदेशक, पशु प्रजनन, मुख्यालय को रू.25.00 लाख की जनपदवार फांट उपलब्ध कराने हेतु।
5. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., देहरादून।
6. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–1, सचिवालय–देहरादून।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

(महेश चन्द्र पन्त)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
कृते–निदेशक।